710

श्री यशेन्द्र सिंह, आई.ए.एस., उपायुक्त रेवाड़ी की अध्यक्षता में दिनांक 13.04.2020 को प्रातः 11:30 बजे कैम्प कार्यालय रेवाड़ी में Cooked Food Packet/Dry Ration को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी मौजूद रहेः

1. अतिरिक्त उपायुक्त, रेवाड़ी।
2. उपमण्डल अधिकारी (ना0), रेवाड़ी/बावल/कोसली।
3. नगराधीश, रेवाड़ी।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, रेवाड़ी।
5. जिला राजस्व अधिकारी, रेवाड़ी।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेवाड़ी।
7. जिला खादय एवं आपूर्ति नियंत्रक, रेवाड़ी।
8. सचिव, रैडक्रॉस सोसायटी, रेवाड़ी।

सर्वप्रथम जिला उपायुक्त महोदय रेवाड़ी द्वारा बैठक मे उपस्थित अधिकारियो का स्वागत किया गया तथा सरकार (राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग) के पत्र क्रमांक डीएमसी एसपीओ 2020 कोविड स्पेशल, दिनांक 06 04 2020 द्वारा Cooked Food Packet/Dry Ration के रेट निर्धारित करने हेतू हिदायत जारी की गई। उक्त के दृष्टिगत बैठक में बताया गया कि उपरोक्त बैठक कोविड 19 महामारी से निपटने हेतू Cooked Food Packet/Dry Ration के रेटस निर्धारित करने के लिए इस कार्यालय के यादि क्रमांक 613 16/कोविड 19/एफ.आर.ए., दिनांक 12 04 2020 द्वारा एक उप समिति (Sub Committee) का गठन किया गया, जिनके सदस्य निम्न प्रकार है:

1. जिला खादय एवं आपूर्ति नियंत्रक, रेवाड़ी।
2. सचिव, मार्किट कमेटी, रेवाड़ी/कोसली।
3. उप सिविल सार्जन, रेवाड़ी।

उक्त कमेटी ने अपने कार्यालय के डी.एफ.एस.सी. 2020/स्पेशल, दिनांक 13 04 2020 द्वारा Cooked Food Packet/Dry Ration के रेटस निर्धारित करके रिपोर्ट निम्न प्रका से प्रस्तुत की है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

(A) Dry Ration

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद रेवाड़ी एवं अध्यक्ष खरीद कमेटी के पत्र क्रमांक कोविड-19/2020/525, दिनांक 09-04-2020 द्वारा फूड आईटम्स से रेट निर्धारित किये हुए है। उक्त पत्र अनुसार गेंहू, आटा के रेट 26 रूपये प्रति किलोग्राम, चना-दाल 60 रूपये प्रति किलोग्राम, नमक 10 रूपये प्रति किलोग्राम, चीनी 36 रूपये प्रति किलोग्राम, सरसों तेल 93.33 रूपये प्रति किलोग्राम, आलू 20 रूपये प्रति किलोग्राम प्याज 16 रूपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किये हुए है।

क्रमांक	खाद्यान्न वस्तु का नाम	प्रति व्यक्ति/प्रति सप्ताह		5 व्यक्ति/सप्ताह	
		मात्रा	दर	मात्रा	दर
1	आटा	1 कि.ग्रा	26 रूपये	5 कि.ग्रा.	130 रूपये
2	चना दाल	250 ग्राम	15 रूपये	1.250 कि.ग्रा.	75 रूपये
3	सरसों का तेल	100 ग्राम	9.33 रूपये	500 ग्राम	46.66 रूपये
4	चीनी	100 ग्राम	3.60 रूपये	500 ग्राम	18 रूपये
5	नमक	100 ग्राम	1 रूपये	500 ग्राम	5 रूपये
6	प्याज	500 ग्राम	8 रूपये	2.5 ग्राम	40 रूपये
7	आलू	500 ग्राम	10 रूपये	2.5 कि.ग्रा	50 रूपये
	कुल		72.93 रूपये		364.66 रूपये

प्रतिव्यक्ति एक सप्ताह के लिए आवश्यक खाद्यान्न वस्तुओं की कुल कीमत 73 रूपये व 5 व्यक्ति प्रति सप्ताह के लिए आवश्यक खाद्यान्न वस्तुओं की कीमत 365 रूपये निर्धारित की जानी बनती है। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न वस्तुओं की पैकिंग (पोलीथिन) का लेबर सहित खर्चा 3 रूपये की दर से निर्धारित करना उचित होगा।

(B) Cooked Food Packets

उप-समिति के सदस्यों से विचार-विमर्श करने उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि जिला रेवाड़ी में अलग-अलग उपमण्डल में अलग-अलग दरों पर Cooked Food Packets तैयार करने के रेट प्राप्त हुए है। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि मात्रा के अनुसार जिस स्थान पर अधिक व्यक्तियों के लिए Cooked Food Packets तैयार किये जाने है, वहां पर औसत लागत कम आती है तथा Cooked Food Packets सस्ती औसत दर पर तैयार हो जाता है।

जिस स्थान पर कम व्यक्तियों के लिए Cooked Food Packets तैयार किये जाने है, वहां पर Cooked Food Packets को तैयार करने में अधिक औसत लागत आती है अर्थात Cooked Food Packets महंगी औसत दर पर तैयार होता है। इस संदर्भ में जिला स्तर पर कॉमन रेट निर्धारित करना उचित होगा। उप-समिति ने सुझाव दिया कि जिला स्तर पर एक Cooked Food Packets की दर 30 रूपये प्रति डाईट के हिसाब से निर्धारित करना उचित होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी वर्णित किया जाना उचित है कि यदि किसी उपमण्डल पर एक Cooked Food Packets की दर 30 रूपये प्रति डाईट के हिसाब से कम लागत आती है तो 30 रूपये प्रति डाईट से कम लागत में भी Cooked Food Packets तैयार करवाये जा सकते है।

बैठक में गठित उप-समिति द्वारा प्रस्तुत किये गए Cooked Food Packets/Dry Ration के रेटस पर विचार-विमर्श किया गया। उप-समिति द्वारा भेजे गए रेटस पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति प्रकट की तथा बिना किसी परिवर्तन के भेजे गए रेट ज्यों के त्यों निर्धारित किये जाते है।

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया।

उपायुक्त रेवाड़ी	अतिरिक्त उपायुक्त, रेवाड़ी।	नगराधीश, रेवाड़ी।
उपमण्डल अधिकारी (ना0), रेवाड़ी	उपमण्डल अधिकारी (ना0), बावल	उपमण्डल अधिकारी (ना0), कोसली
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, रेवाड़ी।	जिला राजस्व अधिकारी, रेवाड़ी।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेवाड़ी।
जिला खादय एवं आपूर्ति नियंत्रक, रेवाड़ी।	सचिव, रैडक्रॉस सोसायटी, रेवाड़ी	

713

पृ0कमांक 40 – 51 /कोविड 19/एफ.आर.ए. दिनांक 14-4-2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतू प्रेशित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, चण्डीगढ
2. अतिरिक्त उपायुक्त, रेवाड़ी।
3. उपमण्डल अधिकारी (ना0), रेवाड़ी/बावल/कोसली।
4. नगराधीश, रेवाड़ी।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, रेवाडी।
6. जिला राजस्व अधिकारी, रेवाड़ी।
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेवाड़ी।
8. जिला खादय एवं आपूर्ति नियंत्रक, रेवाड़ी।
9. सचिव, रैडक्रॉस सोसायटी, रेवाड़ी।

कृते उपायुक्त, रेवाडी
14-4-2020